कार्यालय तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

कमांक/498/प्रवा0/2015 गुढ़ दिनाक 30-3-15

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय,

गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

विषयः—आरोपीगण तहसीलदार व अन्य के विरूद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी कूटरचना व अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने बावत्। एवं दैनिक स्टार समाचार पत्र में प्रकाशित खबर शीर्षक राजस्व अधिकारियों से सांठ—गाठ कर किया गया फर्जी नामान्तरण में 34 एकड़ जमीन के संबंध में।

सन्दर्भः—आपका पत्र कमांक 600 दिनांक 30.10.14 एवं 617 दिनांक 19.11.14

—00—

सन्दर्भित पत्र के पालन मे निवेदन है कि आवेदक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम तमरादेश तहसील गुढ़ निवासी बीरभान पिता सहादेव पटेल की पैतृक भूमि खसरा नं. 115 थी जिनकी मृत्यु वर्ष 2006 में हो गई थी वर्ष 2011 तक मृतक के वारसान के नाम खसरे में दर्ज थी किन्तु वर्ष 11—12 में प्रतिमा पति रावेन्द्र पटेल के नाम दर्ज हुई। खसरा नं. 407 वेवा बैजनथिया पति जोखई पटेल के नाम दर्ज थी जो वर्ष 11—12 के पूर्व वेवा बैजनथिया, अंगिरा, अम्बिका, मुद्रिका के नाम दर्ज थी। वर्ष 11—12 में वेवा बैजनथिया व मुद्रिका का नाम गायब हो गया तथा वर्ष 12—13 में पूनम का नाम दर्ज है। खसरा नं. 273 श्यामलाल पिता रामेश्वर के नाम दर्ज था उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके कोई वारसान नही हैं लेकिन वर्ष 10—11 में उक्त भूमि आरोपी विपिन, मनीश पिता रामसजीवन के नाम दर्ज है। खसरा नं. 548 हर्षा पिता गौरिया के नाम दर्ज थी जिनके भी कोई वारसान नही हैं किन्तु वर्ष 10—11 में गेंदिया पति राजमणि के नाम दर्ज है। उक्त सभी आराजियां बिना विक्रय पत्र के व्यापक फर्जीवाड़े के साथ राजस्व का नुकसान करते हुए स्टाम्प की चोरी कर दिनांक 15.08.11 को नामान्तरण किया जाना खसरे में दर्ज है।

उक्त फर्जीवाड़ा में तत्कालीन तहसीलदार बलबीर रमन, नायब तहसीलदार रतनलाल वंशल, पटवारी रामायण पाण्डेय, राजस्व निरीक्षक दयाशंकर चतुर्वेदी के कार्यकाल में हुआ है। ये सभी उक्त फर्जीवाड़े में सामिल थे। तथा इसी तरह अन्य दर्जनों आराजियों में भी व्यापक फर्जीवाड़ा किया गया है। अतः आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया जाय।

उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ में प्रकरण कमांक 97/बी—121 दर्ज किया जाकर ग्राम तमरापहाड़ स्थित भूमि खसरा कमांक 273, 407, 274/2, 479/2, 548, 115 पर दर्ज वर्तमान भूमि स्वामी अनावेदकगण को तलब किया गया। अनावेदकगण द्वारा प्रकरण में कोई भी जबाव या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये पंचायत सचिव तमरादेश से दिनांक 15.08.11 ग्राम सभा प्रस्ताव पंजी प्राप्त की गई

30/3/15

10	274/2	1.617	11–12 से 14–15	शुशीला पति मथुरा प्रसाद नि0 दुआरी	–,,–	
11	115	6.406	01–02 से 10–11	बीरभान पिता सहादेव नि0 तमरादेश		
12	115/1	5.406	11–12 से 14–15	धर्मेन्द्र पिता रामसिया पटेल	ना.पंजी क. 36 आ.दि. 28.05.12	
13	115/2	1.000	11–12 से 14–15	प्रतिभा पटेल पत्नी रावेन्द्र नि0 तमरादेश	–,,–	
14	548	2.833	01–02 से 09–10	हर्षा पिता गौरिया नि0 तमरादेश		
15	548	2.833	10–11 से 14–15	गेदिया पति राजमणि कुर्मी नि0 तमरादेश		

खसरा नं. 479/1 रकवा 1.361 पर कैफियत खाना 12 में अंकित नामा0 पंजी कमांक 26 दिनांक 30.07.11 आदेश दिनांक 15.08.11 के अवलोकन से पाया जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा टीप अंकित की गई कि नामान्तरण हेतु धर्मेन्द्र पि0 हीरालाल द्वारा रजिस्ट्री की छायाप्रति पेश की गई वह स्पष्ट नही है ऐसी स्थित मूल रजिस्ट्री एवं भूमि स्वामी के सहमति पश्चात नामान्तरण करना उचित होगा किन्तु पंचायत सचिव तमरादेश द्वारा प्रस्ताव कमांक 1 का हवाला देकर नामान्तरण प्रमाणित किया गया है जिसे पटवारी द्वारा अभिलेख में अमल किया गया है। जबकि प्रस्ताव पंजी में दिनांक 15.08.11 मे कोई प्रस्ताव पारित नही है।

खसरा नं. 479/2 रकवा 1.350 हे0 पर भी नामान्तरण पंजी कमांक 27 दिनांक 15.08.11 दर्ज है जबकि नामान्तरण पंजी कमांक 27 दिनांक 30.07.11 के अवलोकन से पाया जाता है कि खसरा नं. 279 रकवा 2.485 हे0 के भूमि स्वामी महादेव पिता अन्नू के मृत होने से वारसान नामान्तरण दर्ज है किन्तु गलत नामान्तरण पंजी कमांक दर्ज कर भूमि खसरा नं. 479/2 अशोक कुमार पिता मनमोहन के नाम दर्ज किया गया है, जो अवैध है।

नामान्तरण पंजी कमांक 30 दिनांक 30.07.11 खसरा नं. 479 रकवा 2.711 हे0 में से अंश रकवा 1.350 हे0 के नामान्तरण की प्रविष्टी अंकित है जिसे पंचायत सचिव द्वारा प्रस्ताव कमांक 1 का हवाला देकर प्रमाणित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा टीप अंकित की गई है कि ग्राम तमरापहाड़ की भूमि खसरा नं. 479 रकवा 2.711 हे0 भूमि स्वामी कलुआ पिता ओजरिया दर्ज अभिलेख है अशोक कुमार पिता मनमोहन द्वारा नामान्तरण हेतु जो अभिलेख प्रस्तुत किया गया है वह स्पष्ट नही है ऐसी स्थिति में मूल रजिस्ट्री एवं भूमि स्वामी की सहमति बिना नामान्तरण करना उचित नही होगा। समुचित कार्यवाही हेतु पंजी प्रस्तुत है। इसी प्रविष्टी के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा कलुआ

30/3/15

जिला रीवा में पदस्थ है के द्वारा अधिकारिता विहीन विहीन प्रमाणित नामांतरण एवं पटवारी हल्का द्वारा अभिलेख में दर्ज किये गये भूमिस्वामियों के नाम अवैध पाये जाने से प्रकरण में दिनांक 24·3·2015 को आदेश पारित किया जाकर उक्त भूमियों पर पूर्व भूमि स्वामियों के नाम यथावत दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी गई है तहसीलदार द्वारा उक्त कृत्य में तत्कालीन पंचायत सचिव एवं पटवारी हल्का तत्कालीन को दोषी प्रतिवेदित किया गया है। तहसीलदार गुढ़ का प्रतिवेदन मूलतः संलग्न कर जांच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील गुढ़ जिला रीवा